

Allahabad State University, Allahabad

पत्रांक : १०१०१०१०/अनु०/४-२०/२०१८

दिनांक २८/०२/२०१८

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव,

श्री परमानन्द स्मारक महाविद्यालय,

खीरी, कोराय इलाहाबाद उ०प्र०।

विषय- स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत प्राचार्य के पद पर अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक- 09.01.2018 तथा चयन समिति/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2443/सत्तर/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 के प्राविधानानुसार मा० कुलपति जी ने निम्नलिखित अभ्यर्थी के चयन का अनुमोदन प्राचार्य के पद पर प्रदान करने की कृपा की है।

क्र०सं०	नाम	पिता का नाम	पदनाम/विषय
1.	डॉ० सीता उपाध्याय (जन्म तिथि- 18.08.1970)	श्री पारस नाथ द्विवेदी	प्राचार्य

उक्त अनुमोदन अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक अभिलेखों एवं नेट/स्लेट अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होगा। प्राचार्य के अनुमोदन हेतु महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं प्राचार्य/शिक्षक का होगा।

विशेष:- आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्राचार्य का नियुक्ति पत्र, अनुबन्ध पत्र कार्यभार ग्रहण आख्या सम्बन्धी अभिलेख एवं पैन कार्ड की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय

डॉ०(साहब) लाल मौर्य)

कुलसचिव

21/2/18

श्री परमानन्द

प्रबन्धक

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सं. शा. ए.स. ज. ए. ग. वि. ति. / सा. व. / 75-21/2014

दिनांक 24/12/2014

प्रापक

प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति)
श्री परमानन्द रामरक महाविद्यालय,
श्री 2
इलाहाबाद

विषय: स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत सहा० आचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

मान्यता

समस्त विद्यार्थी जिनके विषय परीक्षा दिनांक 09.12.2014 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर
श्री 2/2014 के अंतर्गत प्रस्तावित 2441 संख्या 2-2000 2(05)/97 दिनांक 09 मई, 2000 एवं शासनादेश
संख्या 4500/2000 2(05)/97 दिनांक 31 अगस्त, 2000 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित
चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

क्र०	नाम	पिता का नाम	पदनाम/विषय	
1	श्री पिथक तिवारी	श्री नरेन्द्र नाथ तिवारी	सहा०आचार्य- संस्कृत	अनुमोदन
2	श्री यशज कुमार चौधरी	श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी	सहा०आचार्य- इतिहास	अनुमोदन
3	श्री 1. ए. कुमार	श्री शिव कैलाश	सहा०आचार्य- अंग्रेजी	अनुमोदन
4	डॉ० मुकेश कुमार मिश्रा	श्री अवध नारायण मिश्रा	सहा०आचार्य- समाजशास्त्र	अनुमोदन
5	श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी	श्री यज्ञ नारायण तिवारी	सहा०आचार्य- अर्थशास्त्र	अनुमोदन

सहा०आचार्य पद पर चयनित श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी का एस०एस० महाविद्यालय, रुदामऊ, हरदोई में पूर्व
प्रदान अनुमोदन निरस्त किया जाता है।

यदि सम्बन्धित अधिकारियों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित
शिक्षकमान्य होंगे।

आपको यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण
पत्रों का सम्बन्धी अधिकारियों को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विनय कुमार सिंह)
सहा० कुलपति (मान्य)
कृते

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
Allahabad State University, Allahabad

पत्रांक इ0रा0वि0वि0/अनु0/ 320 /2017

दिनांक : 22/09/2017

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव,

श्री परमानन्द स्मारक महाविद्यालय

खीरी, कोरांव, इलाहाबाद

विषय- स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 04.09.2017 तथा चयन समिति/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शासनादेश सख्या-2443/सत्तर/सत्तर-2-2000-2(85)/97 के प्राविधानानुसार मा0 कुलपति जी ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन का अनुमोदन उनके नाम के सम्मुख अंकित विषय में सहायक आचार्य के पद पर प्रदान करने की कृपा की है।

क्र0स0	नाम	पिता का नाम	पदनाम/विषय
1.	डॉ0 शोभा केशरवानी	स्व0 ननकू लाल केशरवानी	सहायक आचार्य-इतिहास (यू0जी0)
2.	श्री दिलीप कुमार सिंह	श्री हरिगोविन्द सिंह	सहायक आचार्य-राजनीति शास्त्र (यू0जी0)

उक्त अनुमोदन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक अभिलेखों एवं नेट/स्लैट अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होगा। सहायक आचार्यों के अनुमोदन हेतु महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं शिक्षक का होगा।

विशेष- आपको यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र, अनुबन्ध पत्र कार्यभार ग्रहण आख्या सम्बन्धी अभिलेख एवं पैन कार्ड की छायाप्रति अवाहरस्ताक्षरी को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय

डॉ0(साहब) लाल नौर्य
कुलसचिव

महादेव